Court Case No- 255/2022

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल. सं. NCST/DEV-1066/JH/15/2022-RO-RNC (ESDW)

सेवा में,

श्री राहुल कुमार सिन्हा,
उपायुक्त,
जिला रांची,
कार्यालय जिला उपायुक्त,
समाहरणालय, रांची,
झारखंड
ई-मेल : dc-ran@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अत: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष **दिनांक 30.11.2022 को अपराह्न 04:00 बजे,** आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एततद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलें का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. वन विभाग एवं गैर मजरुआ जामीन का जमा बंदी रद्द करके सामुदायिक अधिकार देने के संबंध में श्री अशोक उरांव, ग्राम बाढ़ू, पोस्ट-कोकदोरो, थाना-पीठोरिया, जिला-रांची, झारखंड का दिनांक 04.03.2020 का अभ्यावेदन।

सन्दर्भ 2: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 07.07.2020.

सन्दर्भ 3: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 25.08.2020.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 18, नवम्बर, 2022 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया ।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003

मोहर